Source: https://theprint.in/india/nhrc-notices-to-jhansi-dm-ssp-over-gangrape-suicide-of-19-year-old-woman/3053906/?amp

NHRC notices to Jhansi DM, SSP over gangrape, suicide of 19-year-old woman

New Delhi, Sep 25 (PTI) The NHRC on Friday issued notices to the Jhansi district administration and police authorities over media reports that a 19-year-old woman died by suicide after six people, including three minors, allegedly raped her in Uttar Pradesh. The rights panel has sought a report from officials within two weeks, which is [...]

PTI 26 September, 2026 12:45 am IST

New Delhi, Sep 25 (PTI) The NHRC on Friday issued notices to the Jhansi district administration and police authorities over media reports that a 19-year-old woman died by suicide after six people, including three minors, allegedly raped her in Uttar Pradesh.

The rights panel has sought a report from officials within two weeks, which is expected to include the investigation's status and any compensation paid to the deceased's next of kin, if any, the National Human Rights Commission (NHRC) said in a statement.

The statement said the senior superintendent of police and the district magistrate of Jhansi have been issued notices.

The NHRC has "taken suo motu cognisance of a media report that the woman committed suicide after being gang-raped by six people, including three minors" in Jhansi, it said in a statement.

Reportedly, the woman went to a cattle barn for work where the six accused allegedly raped her, the NHRC said.

According to the September 23 media report, allegedly distressed over threats from the accused that they would circulate a video of the act, the victim later consumed poison, the NHRC said.

The Commission observed that the media report, if true, raises serious issues of human rights violations. PTI KND ASD ASD

This report is auto-generated from PTI news service. ThePrint holds no responsibility for its content.

Source: https://observervoice.com/nhrcs-online-internship-program-empowers-future-human-rights-advocates-230243/

NHRC's Online Internship Program Empowers Future Human Rights Advocates
Shalini SinghSeptember 26, 2026Last Updated: September 26, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) of India celebrated the conclusion of its two-week Online Short-Term Internship Programme (OSTI) today, with 95 students from various universities successfully completing the initiative. The program, which began on September 14, 2026, received an overwhelming response, attracting over 1,000 applicants from 19 states and union territories across the nation.

Insights from NHRC Leaders
During the valedictory session, NHRC Member, Justice (Dr.) Bidyut Ranjan Sarangi, praised the interns for their dedication and hard work over the course of the program. He highlighted that the training was not just an educational experience, but a transformative journey. He urged the participants to uphold the principles they learned, encapsulated in the mantra "Preach, Practice and Perform." Justice Sarangi stressed the need for continuous learning in the field of human rights and encouraged the interns to share their knowledge within their communities.

A Call to Action
Justice Sarangi also reminded the interns of their potential impact on society, particularly through acts of compassion toward vulnerable groups, including the elderly and individuals with disabilities. He expressed confidence that young leaders like them could significantly contribute to the nation's progress and social development.

Embarking on a New Responsibility
Smt. Vijaya Bharathi Sayani, another NHRC member, echoed similar sentiments during her address. She emphasized that the end of the internship signifies the start of a greater responsibility to advocate for human rights and uphold the values enshrined in the Constitution. According to her, human rights ought to be part of daily life, encompassing dignity, justice, compassion, and accountability.

Fostering a Spirit of Collaboration
NHRC Secretary General, Shri Piyush Goyal, congratulated the interns and highlighted the significance of integrating academic lessons with real-life applications, especially regarding respect for human dignity. He pointed out that effective teamwork and communication were nurtured throughout the program, shaping the interns into potential champions of human rights. Goyal encouraged the newly qualified advocates to raise awareness about human rights issues in their communities.

Celebrating Achievements
Nearing the session's end, NHRC Joint Secretary, Shri Samir Kumar, provided an overview of the internship program, noting the valuable interactions the interns had with NHRC members, senior officials, and experts from various fields. He expressed hope that the experience deepened their understanding of human rights and

announced winners of various competitions, including book reviews and group presentations. Smt. Monika Joon concluded the session with a vote of thanks.

Source: https://www.etvbharat.com/amp/hi/state/encounter-in-jamui-misconduct-case-what-are-rules-police-powers-supreme-court-and-nhrc-guidelines-brs26092503514

Explainer: जमुई बदसलूकी केस में एनकाउंटर, आरोपी पर फायर करने की पुलिस को कितनी छूट, क्या है नियम?

जमुई बदसलूकी कांड में मुख्य आरोपी का पुलिस एनकाउंटर एक बार फिर चर्चा में है. ऐसे में जानिये क्या कहते हैं नियम? रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा

By ETV Bharat Bihar Team
Published : September 25, 2026 at 5:07 PM IST

पटना:पिछले दिनों बिहार के जमुई में नाबालिग के साथ बदसलूकीहुई थी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि पुलिस ने एनकाउंटरके नाम पर मुख्य आरोपी नंदन यादव को पैर में गोली मार दी. जिसके बाद इसको लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है. समाज का एक वर्ग इस एक्शन को सही बता रहा है तो दूसरा धड़ा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है. कई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और कानून के जानकर भी एनकाउंटर को सही नहीं मानते हैं.

'एनकाउंटर से ही रुकेगा अपराध'
राजधानी पटना के रहने वाले बृजमोहन पांडे कहते हैं कि जिस तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, वैसे में एनकाउंटर जरूरी है. वह ये भी कहते हैं कि हाफ एनकाउंटर का कोई मतलब नहीं है. जबतक अपराधियों की हत्या नहीं होगी, उनको पुलिस का डर नहीं होगा. लिहाजा ऐसे बदमाशों की एनकाउंटर के नाम पर हत्या जरूरी है. हालांकि, उनकी व्यक्तिगत राय है क्योंकि कानून के मुताबिक पुलिस कार्रवाई और किसी व्यक्ति की जान लेने के बीच स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक जवाबदेही होती है.

"ये पैर में गोली मार दिये, उठाकर ले जाकर बंद कर दिए. इससे कुछ नहीं होने वाला. बिहार का कायाकल्प तब होगी, जब एनकाउंटर के नाम पर हत्या की जाएगी, मारा जाएगा. प्रशासन जब दो-चार अपराधियों को मार देगा, तब अपराधियों में भय व्याप्त होगा. पुलिस को सख्त रवैया अपनाना होगा."-बृजमोहन पांडे, स्थानीय

पूर्व डीजीपी ने उठाए सवाल
वहीं, बिहार में लगातार हो रहे पुलिस एनकाउंटर पर पूर्व डीजीपी अभयानंद ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कानून की किताब में 'एनकाउंटर' नाम का कोई शब्द ही नहीं है. पुलिस को भी कोई अलग शक्ति नहीं दी गई है. पुलिस हो या आम नागरिक, दोनों के लिए कानून में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी आत्मरक्षा का प्रावधान है.

'एनकाउंटर शब्द कानून में है ही नहीं'
पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कहा कि एनकाउंटर अंग्रेजी का शब्द है, जिसका सामान्य अर्थ मुठभेड़ है. यह मुठभेड़ पुलिस और आम लोगों के बीच भी हो सकती है और दो आम लोगों के बीच भी लेकिन पुलिस के लिए एनकाउंटर करने की कोई अलग कानूनी शक्ति नहीं है. वे कहते हैं कि कानून के तहत आत्मरक्षा में बल का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इस अधिकार को पुलिस के लिए किसी अलग 'एनकाउंटर पावर' के रूप में नहीं देखा जा सकता.

आत्मरक्षा का अधिकार परिस्थिति पर निर्भर
अभयानंद कहते हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार तभी तक है, जब तक वास्तव में आत्मरक्षा की परिस्थिति मौजूद है. उनका सवाल है कि जिन घटनाओं को पुलिस एनकाउंटर बताती है, उनमें क्या हर मामले में वास्तव में ऐसी परिस्थिति मौजूद थी? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी कार्रवाई में पहले से योजना बनाकर किसी व्यक्ति को निशाना बनाया गया हो तो उसे 'आत्मरक्षा' कैसे माना जाएगा? हालांकि किसी खास घटना में ऐसी स्थिति थी या नहीं, इसका फैसला जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है.

एनकाउंटर शब्द कानून में है ही नहीं. कोई छूट नहीं है. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाता है ये शब्द और वो पब्लिक को भी उतना ही है, जितना पुलिस को है.बार-बार जो पुलिस एनकाउंटर करती है, गलत करती है. जो घटनाएं हो रही है, वह आत्मरक्षा में तो नहीं लगती है. सुप्रीम कोर्ट का पूरा रुलिंग इस पर पूरा

आया हुआ है, एसओपी है."-अभयानंद, पूर्व डीजीपी, बिहार

अलग से गोली चलाने की शक्ति नहीं

पूर्व डीजीपी बताते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इससे संबंधित है. इसमें गिरफ्तारी का विरोध करने या गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करने पर गिरफ्तारी के लिए आवश्यक साधनों के इस्तेमाल की बात कही गई है. इसी धारा में यह भी स्पष्ट है कि सामान्य गिरफ्तारी की शक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की मौत का अधिकार नहीं माना जा सकता, जब तक मामला कानून में निर्धारित गंभीर श्रेणी में न आता हो.

एनकाउंटर के बाद जांच की है व्यवस्था

एनकाउंटर के बाद होने वाली जांच को लेकर भी अभयानंद ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में मौत होने पर जांच की व्यवस्था मौजूद है और इसे सिर्फ पुलिस के बयान के आधार पर सही नहीं मान लिया जाना चाहिए.

वे कहते हैं, 'सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस एनकाउंटर में मौत के मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, FIR दर्ज करने तथा अन्य प्रक्रियाओं को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ पुलिस द्वारा आत्मरक्षा का दावा कर देने से एनकाउंटर अपने आप न्यायसंगत नहीं हो जाता.'

ग्रेड नहीं, परिस्थिति महत्वपूर्ण

एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी किस स्तर का अधिकारी है, यह कितना महत्वपूर्ण है? इस सवाल पर अभयानंद ने कहा कि अधिकारी का ग्रेड सबसे महत्वपूर्ण सवाल नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि घटना के समय वास्तविक परिस्थिति क्या थी और बल का इस्तेमाल कानून के अनुसार हुआ या नहीं? यानी जांच का केंद्र यह होना चाहिए कि पुलिस के सामने उस वक्त वास्तविक खतरा क्या था, क्या बल का इस्तेमाल आवश्यक था और क्या कार्रवाई कानून की सीमा के भीतर थी?

अगर एनकाउंटर की जरूरत है तो कानून बनाएं

अभयानंद ने सरकार और राजनीतिक दलों की नीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक नेतृत्व को लगता है कि मौजूदा कानून अपराध की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो खुले तौर पर विधानसभा और संसद में इस पर बहस होनी चाहिए. उनका कहना है कि अगर कानून पर्याप्त नहीं है तो कानून बदला जाए लेकिन कानून बदले बिना पुलिस से अपनी तरफ से अलग व्यवस्था चलाने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए.

भ्रष्टाचार करने वालों पर भी वही नीति लागू हो

पूर्व डीजीपी ने एनकाउंटर की बहस को भ्रष्टाचार से भी जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार भी अपराध है और भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति भी कानून के तहत अपराधी है. ऐसे में यदि समाज यह मानता है कि अपराध रोकने के लिए एनकाउंटर जरूरी है तो फिर इस नीति को सिर्फ सड़क पर होने वाले अपराध तक सीमित क्यों रखा जाए?

अभयानंद व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं, 'राजनीतिक दलों के नेता और जनप्रतिनिधि खुले तौर पर विधानसभा में बहस करें कि अगर एनकाउंटर ही समाधान है तो भ्रष्टाचार के मामलों में भी उसी नीति को लागू किया जाए.'

एनकाउंटर के बाद किन नियमों का पालन जरूरी?

पुलिस एनकाउंटर को लेकर भले ही कानून में कोई अलग से सीधी परिभाषा नहीं है लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में 16 बिंदुओं वाली विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी. ये दिशा-निर्देश संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश के सभी राज्यों पर लागू होते हैं.

खुफिया जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करना जरूरी

इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार बताते हैं कि अगर पुलिस को किसी अपराधी की गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी मिलती है, तो कार्रवाई से पहले उसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज करना आवश्यक है. इसका उद्देश्य पुलिस कार्रवाई को रिकॉर्ड में रखना और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना है.

एनकाउंटर के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज हो

अगर पुलिस मुठभेड़ में किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो संबंधित थाने में तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए. इसकी कॉपी बिना देरी के संबंधित न्यायालय को भेजी जानी चाहिए ताकि मामले की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके.

स्वतंत्र जांच का प्रावधान

एनकाउंटर की जांच उसी पुलिस टीम से नहीं कराई जा सकती, जो घटना में शामिल रही हो. जांच राज्य सीआईडी या किसी दूसरे पुलिस थाने की स्वतंत्र टीम से कराई जानी चाहिए. इस जांच का नेतृत्व एनकाउंटर में शामिल टीम के प्रमुख से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी करेगा.

मजिस्ट्रियल जांच अनिवार्य

पुलिस मुठभेड़ में होने वाली मौत के मामलों में मजिस्ट्रेट स्तर की जांच का प्रावधान है. ऐसी जांच का उद्देश्य घटना के तथ्यों और पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र

समीक्षा करना है.

हथियारों की फॉरेंसिक जांच

एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के हथियारों को जांच के लिए सुरक्षित किया जाता है. हथियारों और गोलियों की बैलिस्टिक तथा फॉरेंसिक जांच कराई जाती है, ताकि गोलीबारी से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सके.

जांच पूरी होने से पहले पुरस्कार या प्रमोशन नहीं

एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों को तुरंत इनाम या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाना चाहिए. ऐसे पुरस्कारों पर निर्णय जांच के परिणामों के आधार पर लिया जाना चाहिए.

घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा

मुठभेड़ के दौरान अगर कोई पुलिसकर्मी, आरोपी या अन्य व्यक्ति घायल होता है, तो उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देश

वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि एनकाउंटर में मौत होने के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पुलिस की जवाबदेही और जांच को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एनकाउंटर में मौत होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्धारित प्रक्रिया के तहत मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट भेजनी होती है. मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम योग्य डॉक्टरों के बोर्ड से कराया जाना चाहिए. पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का प्रावधान है.

Organiser, Online News, 26/09/2026

Source: https://organiser.org/2026/09/25/382662/bharat/telangana-nhrc-summons-dms-over-2021-mysterious-death-of-minor-girl-jahnavi-at-archdiocese-hyderabad-linked-child-care/

Telangana: NHRC summons DMs over 2021 mysterious death of minor girl Jahnavi at Archdiocese Hyderabad linked child care

The NHRC has summoned the District Collectors of Hyderabad and Medchal-Malkajgiri over the 2021 death of 14-year-old Jahnavi, following LRPF's complaint and repeated reminders over pending Action Taken Reports.

Ritika Yadav
Sep 25, 2026, 07:00 pm IST in Politics, Bharat, Telangana

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the District Collectors of Hyderabad and Medchal-Malkajgiri, on September 22, directing them to appear before the Commission in connection with the death of Jahnavi, a 14-year-old specially abled minor who died in 2021 while under institutional care in Telangana. The latest action follows the LRPF's representations to the NHRC, the Commission's earlier directions seeking Action Taken Reports (ATRS) from the two districts, and subsequent reminders over their non-submission.

Death of Jahnavi and CWC complaint
Jahnavi was initially staying at the MV Foundation facility, a social organisation, in Hyderabad. On March 17, 2021, she was formally shifted by the Child Welfare Committee (CWC) to the Home for Disabled at Jeera, Secunderabad. On the morning of June 7, 2021, information was received at CWC that a minor girl Jahnavi died under suspicious circumstances. Upon knowing the information, the then CWC Chairperson G. Shailaja, accompanied by another CWC member, rushed to the Home for Disabled at Jeera, Bansilalpet, Secunderabad.
However, the minor was not there, despite the CWC records showing that she had been placed at the facility.

Upon local enquiry, it came to know that the minor girl died at another facility linked to Home for Disabled at Somonbolle village under Shamirpet Police station limits, which is 23 kms away from Secunderabad.
According to the details of the complaint, the subsequent police investigation revealed that Jahnavi had died at another location the organisation's facility in Shamirpet. Following her death, her body was to Bhoiguda, Secunderabad, without informing the CWC or police authorities.
Following the death early in the morning of June 7, the dead body of the girl was allegedly shifted to Bhoiguda Christian cemetary in Secunderabad. The complaint further raised questions regarding the manner in which the body was disposed of, including the fact that it was cremated rather than buried.

Following the complaint, Gandhinagar Police Station registered Zero FIR No. 01/2021 on June 7, 2021, under Section 176(1)(A) of the Cr.P.C. The case was subsequently transferred to Shamirpet Police Station under the Cyberabad Police Commissionerate for further investigation.

LRPF Follow Up
Citing the lack of progress, the Hyderabad-based Legal Rights Protection Forum (LRPF) approached the NHRC on February 4, 2026, over the suspicious death of the Jahnavi under institutional care, alleging child rights violations, custodial negligence and destruction of evidence.

On February 16, 2026, the NHRC took cognisance and directed the Hyderabad and Medchal-Malkajgiri District Magistrates to submit ATRs within two weeks.
After non-compliance, the NHRC issued a reminder on March 25, 2026, warning of possible action under Section 13. LRPF followed up on May 6 and August 8, 2026, stating that the ATR status remained unknown.
On September 22, 2026, the NHRC directed the two District Collectors to appear with their ATRs.

About 'Home for Disabled' and links with Archdiocese of Hyderabad

Apart from the mysterious death of the minor girl, the NGO named 'Home for Disabled has a wider network in Telangana and Andhra Pradesh. The Archdiocese of Hyderabad states that the Sisters of St. Ann of Providence have been associated with the Home since 1934.
The Home for Disabled organisation's website identifies Fr. M. Xavier, SVD, a priest of the Society of the Divine Word, as its Secretary and Executive Director. The Archdiocese of Hyderabad also records that the Little Sisters of Jesus Christ have been working with the Home for Disabled Sampenbolle Extension Unit since 2013.
Initially, Jahnavi was staying at the MV Foundation in Hyderabad, founded by Ramon Magsaysay Awardee Prof. Shanta Sinha, former Chairperson of the NCPCR (2007-2013) and Professor (Retd.) of Political Science at the University of Hyderabad.

Active FCRA license

Home for the Disabled is a registered society under Registration No. 197-42, dating back to 1942, and registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act.
As per LRPF, the Home for Disabled has an active FCRA registration bearing No. 010230015, which was renewed in 2022 and remains valid until 2027.

LRPF Seeks Independent Investigation

The LRPF approached the NHRC seeking intervention in the matter and requested the Telangana Government to order an independent investigation or a Special Investigation Team (SIT) probe into the circumstances surrounding the girl's death and the events preceding and following it.
Speaking to Organiser, LRPF secretary, AS Santosh said, the death of minor and delay in action from respectable government authorities is a concern. Moroever, the lack of government run homes for disabled is a serious. We have only reported issue of Jahnavi, and there could be many unreported deaths or serious issues. It appears to be serious violation of Child rights and raises doubts on foreign funded organisations accountability on such issues. The lack of accountability and transperancy in these organisations and low monitoring is a serious threat to society where vulnerable girls like Jahnavi lost their lives in mysterious conditions and the silence of government indicates large suspicious underground activities happening under the guise of charity by NGOs particularly linked to Church Missionaries.

Source: https://newsonair.gov.in/nhrc-issues-notice-to-jhansi-officials-over-gang-rape-case/

NHRC Issues Notice to Jhansi Officials Over Gang-Rape Case
News On AIR | September 25, 2026 8:03 PM

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a media report that a 19-year-old woman committed suicide after being gang-raped by six people, including three minors. The Commission has issued notices to the Senior Superintendent of Police and the District Magistrate, Jhansi, Uttar Pradesh, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of the investigation and compensation, if any, paid to the next of kin of the deceased.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights. According to the report, the victim was distressed by the threats to circulate the video and consumed poison.

ETV Bharat, Online News, 26/09/2026

Source: https://www.etvbharat.com/en/state/nhrc-notices-to-jhansi-dm-ssp-over-gangrape-suicide-of-19-year-old-woman-enn26092600158

ETV Bharat / state

NHRC Notices To Jhansi DM, SSP Over Gangrape, Suicide Of 19-Year-Old Woman

The NHRC has taken suo motu cognisance of a media report that the woman died by suicide after being gang-raped by six people in Jhansi.

By PTI
Published : September 26, 2026 at 12:40 AM IST
|Updated : September 26, 2026 at 12:48 AM IST

New Delhi: The NHRC on Friday issued notices to the Jhansi district administration and police authorities over media reports that a 19-year-old woman died by suicide after six people, including three minors, allegedly raped her in Uttar Pradesh.

The rights panel has sought a report from officials within two weeks, which is expected to include the investigation's status and any compensation paid to the deceased's next of kin, if any, the National Human Rights Commission (NHRC) said in a statement.

The statement said the senior superintendent of police and the district magistrate of Jhansi have been issued notices. The NHRC has "taken suo motu cognisance of a media report that the woman died by suicide after being gang-raped by six people, including three minors" in Jhansi, it said in a statement.

Reportedly, the woman went to a cattle barn for work where the six accused allegedly raped her, the NHRC said.

According to the September 23 media report, allegedly distressed over threats from the accused that they would circulate a video of the act, the victim later died b y suicide, the NHRC said.

The Commission observed that the media report, if true, raises serious issues of human rights violations.

Suicide Is Not A Solution: If you are having suicidal thoughts, or you are worried about a friend, or you need emotional support, then there is someone who is always there to listen to you. Call the Sneha Foundation - 04424640050 (available 24x7) or iCall, the Tata Institute of Social Sciences helpline at 9152987821 (available Monday to Saturday from 8 am to 10 pm).

Source: https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc,-indias-online-short-term-internship-programme-for-september-2026-concludes,-95-university-level-students-from-diverse-academic-backgrounds,-shortlisted-out-of-1008-applicants,-completed-the-programme

NHRC, India's Online Short-Term Internship Programme for September 2026 concludes, 95 university-level students from diverse academic backgrounds, shortlisted out of 1008 applicants, completed the programme
Press release

National Human Rights Commission

New Delhi: 25th September 2026

NHRC, India's Online Short-Term Internship Programme for September 2026 concludes, 95 university-level students from diverse academic backgrounds, shortlisted out of 1008 applicants, completed the programme

Chairing the valedictory session, NHRC Member, Justice (Dr.) Bidyut Ranjan Sarangi encourages interns to practise and share human rights values in everyday conduct

Member, Smt. Vijaya Bharathi Sayani calls upon interns to make human rights a way of life

Secretary General, Shri Piyush Goyal urges interns to become torch bearers of human rights

The two-week Online Short-Term Internship Programme (OSTI) of the National Human Rights Commission (NHRC), India concluded today with 95 university-level students completing it. The internship began on 14th September 2026. The interns were shortlisted out of 1008 applicants from 19 states and union territories across the country.

Chairing the valedictory session, NHRC Member, Justice (Dr.) Bidyut Ranjan Sarangi, congratulated the interns on successful completion of the programme. He emphasised that the two-week training programme was not merely a journey but a valuable learning experience. Urging the interns to ensure that their efforts do not go in vain, he highlighted the importance of "Preach, Practice and Perform", stressing that learning about human rights should continue throughout life and that the knowledge gained must be practised and shared with others.

Calling upon the interns to demonstrate human rights values in their everyday conduct, Justice Sarangi urged them to be compassionate towards others, including senior citizens and persons with disabilities and to extend appropriate consideration to their needs. He said that as young people, the interns carried great expectations for the development of the country and society.

Addressing the interns, NHRC Member, Smt. Vijaya Bharathi Sayani said that the conclusion of the internship marked not an end but the beginning of a new responsibility. She urged them to carry forward a commitment to human rights, the Constitution and the nation, stressing that human rights are about dignity, justice, compassion and responsibility towards one another and should become a way of life.

Emphasising that human rights and patriotism complement each other, Smt. Sayani urged the interns to respect the Constitution, protect human dignity, serve the vulnerable and stand for justice. Drawing on Vasudhaiva Kutumbakam and Sarve Bhavantu Sukhinah, she called upon them to become human rights ambassadors in their communities and highlighted “knowledge, compassion and service” as guiding principles for contributing to a stronger, more just and humane India.

In his address, NHRC Secretary General, Shri Piyush Goyal, congratulated the interns and emphasised the importance of developing sensitivity towards human dignity in everyday life. He said that academic learning is meaningful when translated into practice. Highlighting the value of teamwork and communication skills, he said that the team activities helped inculcate team spirit and collaborative skills. He urged the interns to become torch bearers of human rights by creating greater awareness of its practical dimensions in society.

Before this, NHRC Joint Secretary, Shri Samir Kumar, presented an overview of the internship programme, highlighting the opportunity provided to the interns to interact with NHRC Members, senior NHRC officers, eminent experts, academicians, Core Group members and representatives of civil society organisations. He expressed hope that the programme enriched the interns’ understanding of human rights. He also announced the winners of competitions, including book review, group research project presentation and declamation. Smt. Monika Joon delivered the vote of thanks.

Hindustan, Online News, 26/09/2026

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-national-human-rights-commission-awards-10-lakh-compensation-in-custodial-death-case-201790341321830.html

पुलिस हिरासत में मौत मामले में पीड़ित के परिजन को मिलेगा दस लाख मुआवजा
Sep 25, 2026 06:42 pm IST
ByArun Kumar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर

दरभंगा के सिमरी थाने की पुलिस के कथित हिरासत में छह वर्ष पहले कुढ़नी के ऑटो चालक पंकज महतो की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उसके निकटतम परिजन को दस लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। दरभंगा के सिमरी थाने की पुलिस के कथित हिरासत में छह वर्ष पहले कुढ़नी के ऑटो चालक पंकज महतो की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उसके निकटतम परिजन को दस लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसके आलोक में राज्य गृह विभाग की विशेष शाखा के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने मुआवजा भुगतान करने का आदेश जारी किया है। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम के तहत मानवता के दृष्टिकोण से दरभंगा के कोषागार से यह राशि मृतक के निकटतम परिजन को दी जाएगी।

मामले का विवरण
यूपी के गाजियाबाद के आरटीआई एक्टिविस्ट व मानवाधिकार कार्यकर्ता राजहंस बंसल ने इस संबंध में 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी सुनवाई के बाद पिछले महीने आयोग ने पंकज के निकटतम परिजन को दस लाख मुआवजा देने का आदेश जारी किया था।

परिजनों के आरोप
परिजनों ने आरोप लगाया था कि 25 अगस्त 2020 की रात दरभंगा के सिमरी थाना की पुलिस एक लूटकांड में पूछताछ के लिए पंकज को अपने साथ ले गई थी। परिजनों का यह आरोप था कि पुलिस हिरासत में पंकज की बुरी तरह पिटाई की गई। एक सितंबर 2020 को उसके परिजन सिमरी थाना पर मिलने गए तो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। इससे पहले डीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। तीन सितंबर 2020 को पीएमसीएच में पंकज की मौत हो गई। पंकज की पत्नी मंजू देवी ने आरोप लगाया था कि पुलिस हिरासत में पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं, पुलिस अधिकारियों का दावा था कि पंकज पहले से गंभीर बीमारी से ग्रसित था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तब इस मामले को लेकर कुढ़नी में सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया गया था।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-surprise-inspection-at-old-age-home-in-aminpur-by-national-human-rights-commission-201790337438560.html

वृद्धाश्रम की परखी व्यवस्था,बुजुर्गों से किया संवाद
Sep 25, 2026 05:27 pm IST
ByHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच

बहराइच के अमीनपुर नगरौर स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया। विशेष मॉनीटर आर. हेमंत कुमार और अधिकारियों की टीम ने वृद्धजनों से बात की और सुविधाओं की गुणवत्ता की जांच की। वृद्धजन संतुष्ट दिखे। अधिकारियों ने स्वस्थ्य जांच और मनोरंजन गतिविधियों को जारी रखने के निर्दे

बहराइच,संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के स्पेशल मॉनीटर आर. हेमंत कुमार ने अधिकारियों संग अमीनपुर नगरौर स्थित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ डीएफओ बहराइच, स्टेट कोऑर्डिनेटर यू.के. सिंह और जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान टीम ने आश्रम परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। स्पेशल मानीटर ने वहां रह रहे वृद्धजनों से संवाद कर आश्रम में मिल रही सुविधाओं, भोजन, चिकित्सा सुविधा, वस्त्र और आवास व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। वृद्धजनों ने सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया।टीम ने आश्रम की पंजिकाओं, अभिलेखों, भोजन मेनू और दवा वितरण रजिस्टर की भी जांच की।

सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित मिलीं। अधिकारियों ने प्रबंधन को निर्देश दिया कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और मनोरंजन गतिविधियां जारी रखी जाएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप निराश्रित बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और बेहतर देखभाल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान आश्रम प्रबंधन दिलीप द्विवेदी मौजूद रहे।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-national-human-rights-commission-inspects-karjan-dam-in-bedo-201790344129125.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्पेशल रिपोर्टियर ने किया निरीक्षण
Sep 25, 2026 07:18 pm IST
ByHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्पेशल रिपोर्टियर सुचित्रा सिन्हा ने बेड़ो प्रखंड के करांजी जलाशय का निरीक्षण किया। उन्होंने मुआवजा भुगतान और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों की जानकारी ली। प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत कर आवश्यक

बेड़ो, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्पेशल रिपोर्टियर सुचित्रा सिन्हा ने शुक्रवार को बेड़ो प्रखंड के करांजी जलाशय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जलाशय के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों की जानकारी ली। उन्होंने करांजी पंचायत सचिवालय में जलाशय से प्रभावित रैयतों से मुआवजा भुगतान के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हुए उनसे वार्ता की।

रैयतों की समस्याएं
स्पेशल रिपोर्टियर ने प्रभावित रैयतों की समस्याओं और मुआवजा भुगतान की स्थिति की जानकारी लेने के बाद विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी एवं करांजी मध्यम सिंचाई परियोजना से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित मामलों का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करने को कहा। 6.56 एकड़ भूमि का हुआ है अधिग्रहण:

भूमि अधिग्रहण की जानकारी
बताया गया कि करांजी जलाशय के लिए कुल अधियाचित भूमि 7 एकड़ 42 डिसमिल है, जबकि 6 एकड़ 56 डिसमिल रकबा पारित है। इसके लिए 2 करोड़ 56 लाख 99 हजार रुपये की आवंटन राशि प्राप्त हुई है। वहीं, प्रभावित ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें वर्तमान दर के अनुसार मुआवजा राशि दिलाने में हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है। ग्रामीणों ने मुआवजा भुगतान से जुड़े मामलों की जानकारी भी रिपोर्टियर के समक्ष रखी।

निरीक्षण में शामिल अधिकारी
निरीक्षण के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची कृष्ण कन्हैया राजहंस, सीओ राज कुंवर सिंह, विभागीय अभियंता समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे।

Source: https://hindi.theprint.in/india/nhrc-issues-notices-to-jhansi-district-magistrate-ssp-in-connection-with-the-suicide-of-a-19-year-old-girl/1034488/?amp

एनएचआरसी ने 19 साल की युवती की खुदकुशी के मामले में झांसी के जिलाधिकारी, एसएसपी को नोटिस भेजे
भाषा- 26 September, 2026

नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झांसी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को इन खबरों पर नोटिस जारी किया कि 19 साल की एक युवती ने तीन नाबालिगों समेत छह लोगों द्वारा कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली।

आयोग ने अधिकारियों से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है जिसमें जांच की स्थिति और लड़की के परिजन को किसी तरह का मुआवजा दिए जाने के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है।

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को नोटिस जारी किए गए हैं।

23 सितंबर की एक खबर के मुताबिक युवती ने कथित तौर पर आरोपियों की इस धमकी से तंग आकर जहर निगल लिया कि वे उससे दुष्कर्म का वीडियो प्रसारित कर देंगे।

भाषा वैभव खारी

Source: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2315088®=3&lang=2

सितंबर 2026 के लिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम संपन्न। 1008 आवेदकों में से विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले विश्वविद्यालय स्तर के चुने गए 95 छात्रों ने अपना कार्यक्रम पूरा किया

समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए, आयोग के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने इंटर्न्स को दैनिक आचरण में मानवाधिकार मूल्यों का पालन करने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया

आयोग की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सायणी ने इंटर्न्स से मानवाधिकारों को जीवन का तरीका बनाने का आह्वान किया

आयोग के महासचिव, श्री पीयूष गोयल ने इंटर्न्स से मानवाधिकारों के मशालवाहक बनने का आग्रह किया
प्रविष्टि तिथि: 25 SEP 2026 6:22PM by PIB Delhi

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (OSTI) आज विश्वविद्यालय स्तर के 95 छात्रों द्वारा कार्यक्रम पूरा करने के साथ संपन्न हुआ। यह इंटर्नशिप 14 सितंबर 2026 को शुरू हुआ था। देश भर के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1008 आवेदकों में से इन सभी इंटर्न्स का चयन किया गया था।

समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए, एनएचआरसी सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर इंटर्न्स को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दो सप्ताह का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक सीखने का मूल्यवान अनुभव था। इंटर्न्स से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने प्रयासों को व्यर्थ न जाने दें। "प्रचार करो, अभ्यास करो और प्रदर्शन करो" के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया। इस बात पर जोर देते हुए कि मानवाधिकारों के बारे में सीखना जीवन भर जारी रहना चाहिए और अर्जित ज्ञान का अभ्यास किया जाना चाहिए और दूसरों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

इंटर्न्स से अपने दैनिक आचरण में मानवाधिकार मूल्यों को प्रदर्शित करने का आह्वान करते हुए, न्यायमूर्ति सारंगी ने उन्हें वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों सहित दूसरों के प्रति संवेदनशील होने और उनकी आवश्यकताओं पर उचित विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवा लोगों के रूप में, इंटर्न्स से देश और समाज के विकास के लिए बड़ी उम्मीदें हैं।

इंटर्न्स को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी सदस्य, श्रीमती विजया भारती सायणी ने कहा कि इंटर्नशिप का समापन अंत नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। उन्होंने उन्हें मानवाधिकारों, संविधान और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, इस बात पर बल देते हुए कि मानवाधिकार गरिमा, न्याय, करुणा और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी के बारे में हैं। यह जीवन का एक तरीका बनना चाहिए।

इस बात पर जोर देते हुए कि मानवाधिकार और देशभक्ति एक-दूसरे के पूरक हैं, श्रीमती सायणी ने इंटर्न्स से संविधान का सम्मान करने, मानव गरिमा की रक्षा करने, कमजोर वर्गों की सेवा करने और न्याय के लिए खड़े होने का आग्रह किया।

वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का हवाला देते हुए, उन्होंने उन्हें अपने समुदायों में मानवाधिकार राजदूत बनने का आह्वान किया और एक मजबूत, अधिक न्यायसंगत और मानवीय भारत में योगदान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में "ज्ञान, करुणा और सेवा" को रेखांकित किया।

अपने संबोधन में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव, श्री पीयूष गोयल ने इंटर्न्स को बधाई दी और दैनिक जीवन में मानव गरिमा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सीख तभी सार्थक है जब उसका अभ्यास में अनुवाद किया जाए। टीम वर्क और संचार कौशल के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि टीम गतिविधियों ने टीम भावना और सहयोगात्मक कौशल को विकसित करने में मदद की। उन्होंने इंटर्न्स से समाज में इसके व्यावहारिक आयामों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करके मानवाधिकारों के लिए एक मशालवाहक बनने का आग्रह किया।

इससे पहले, आयोग के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने इंटर्नशिप कार्यक्रम का अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें इंटर्न्स को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमुख विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, कोर ग्रुप सदस्यों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के अवसर को रेखांकित किया गया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम ने इंटर्न्स की मानवाधिकारों की समझ को समृद्ध किया। उन्होंने पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रस्तुति और वाक्प्रतियोगिता सहित प्रतियोगिताओं के विजेताओं की भी घोषणा की। इस अवसर पर श्रीमती मोनिका जून ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

***

पीके/केसी/आरटी/एमएम/एसएस

रिलीज़ आईडी: 2315088) आगंतुक पटल : 60
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Telugu

Source: https://insamachar.com/nhrc-has-taken-suo-motu-cognizance-of-reports-regarding-the-alleged-suicide-of-a-woman-who-was-a-victim-of-gang-rape-in-jhansi/

झांसी में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक महिला की कथित आत्महत्या की सूचना पर NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया Editor Posted on25 सितम्बर 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि एक 19 वर्षीय महिला ने छह लोगों (जिनमें तीन नाबालिग शामिल हैं) द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार, महिला कुछ काम से एक पशुशाला में गई थी जब छह आरोपियों ने कथित रूप से उसे पकड़ लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

आयोग ने अवलोकन किया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मुद्दों को उठाती है। इसलिए, इसने इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगते हुए उत्तर प्रदेश के झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को नोटिस जारी किए हैं। इस रिपोर्ट से जांच की स्थिति और मृतक के परिजनों को भुगतान किए गए मुआवजे (यदि कोई) का विवरण मिलने की उम्मीद है।

23 सितंबर 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता वीडियो प्रसारित करने की धमकियों से व्यथित थी और उसने जहर का सेवन कर लिया।